

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्र संख्या-1447/ग्रा0अ0वि0/ठेके0पंजी0-79/कनि0सहा0-1/18-19, दिनांक-21-03-2019

पंजीकरण संख्या-499/श्रेणी-'A'-मार्ग/2019

:-पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा के पत्र संख्या-1037 दिनांक-28-02-2019 से प्राप्त मैसर्स अजय दीक्षित कान्द्रैक्टर के "A" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स अजय दीक्षित कान्द्रैक्टर (प्रोपराइटर श्री अजय दीक्षित पुत्र श्री सत्य प्रकाश दीक्षित,) निवासी-ग्राम पिपरोखर थाना लहचूरा तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य हेतु श्रेणी 'A' में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अनिल कुमार गर्ग)  
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- मैसर्स अजय दीक्षित कान्द्रैक्टर (प्रोपराइटर श्री अजय दीक्षित पुत्र श्री सत्य प्रकाश दीक्षित,) निवासी-ग्राम पिपरोखर थाना लहचूरा तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी (मो0न-8707061105) (ईमेल-ajaydixt090@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा साथ ही आपके चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक-06-01-2020 एवं हैसियत की वैधता:-24-02-2020 है, हैसियत एवं चरित्र की वैधता समाप्त होने के एक माह पूर्व इनकी नवीन प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं, अन्यथा आपका पंजीकरण निरस्त समझा जाएगा। उक्त वैधता तिथि के पश्चात आप निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

7-अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।



मुख्य अभियन्ता (पं0क्ष0)  
ग्रामीण अभियन्ता (पं0क्ष0)  
उ0प्र0 लखनऊ

मुख्य अभियन्ता(प0क्ष0)